

दुग्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जयपुर (राजस्थान) 303329

No. F.(UCODST)/SKNAU/2024/1530

Date: 15.06.2024

कोटेशन आमंत्रित करने हेतु सूचना

नीचे दिए गए अनुसार विभिन्न कृषि कार्यों और अन्य कार्यों को करने के लिए ट्रैक्टर सेवाओं को किराए पर लेने के लिए कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं। कोटेशन 26/06/2024 को सुबह 11:00 बजे तक स्वीकार किया जाएगा और उसी दिन दोपहर 12:15 बजे खोला जाएगा। बोलीदाताओं को संलग्न परफॉर्म में प्रत्येक ऑपरेशन/आइटम के लिए अलग से अपनी दरें उद्धृत करनी होंगी। अधिष्ठाता को बिना कारण बताए किसी भी कोटेशन को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। अनुमानित कार्य को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। विभिन्न कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेने की अनुमानित लागत लगभग रु. 0.40 लाख है।

क्र.सं.	नाम कार्य/सेवाएँ	प्रति यूनिट दर (रु.)
1.	कल्टीवेटर से इकहरी जुताई (प्रति हेक्टेयर)	
2.	डिस्क हैरो से इकहरी जुताई (प्रति हेक्टेयर)	
3.	कल्टीवेटर से दोहरी जुताई (प्रति हेक्टेयर)	
4.	डिस्क हैरो से दोहरी जुताई (प्रति हेक्टेयर)	
5.	सीड-कम-फर्टीलाइजर ड्रिल से बुआई कार्य (प्रति हेक्टेयर)	
6.	पाटा/प्लैकिंग कार्य (प्रति हेक्टेयर)	
7.	ट्रैक्टर द्वारा समतलीकरण कार्य (प्रति घंटा)	
8.	कीटनाशक/शाकनाशी आदि का छिड़काव (प्रति हेक्टेयर)	
9.	टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति (प्रति टैंकर) न्यूनतम 5000 लीटर	
10.	टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति (प्रति टैंकर न्यूनतम 5000 लीटर) मय ठहराव प्रति 12 घंटा	
11.	फसलों की रीपर से कटाई (प्रति घंटा)	
12.	फसलों की थ्रेसिंग (प्रति घंटा)	
13.	कृषि उपज को खेत से स्टोर तक ले जाना (प्रति ट्रॉली)	
14.	कृषि उपज या गोबर की खाद और अन्य सामग्रियों को ले जाने के लिए परिवहन (प्रति ट्रॉली)	
a.	05.00 किलोमीटर तक की दूरी (निश्चित शुल्क)	
b.	05.00-20.0 किमी के बीच की दूरी (प्रति किलोमीटर)	
c.	20 किलोमीटर से अधिक की दूरी (प्रति किलोमीटर)	

नियम एवं शर्तें

1. फर्म/बोलीदाता द्वारा कोई भी प्रति प्रस्ताव या संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।
2. सभी प्रकार के कार्यों के लिए सेवा संतोषजनक होनी चाहिए।
3. आमंत्रित कोटेशन कार्य आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। एक वर्ष पूरा होने के बाद, कोटेशन की वैधता अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
4. कोटेशन सीलबंद लिफाफे में जमा किए जाएंगे जिसमें कृषि कार्य संचालन के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेने के लिए कोटेशन और फर्म/बोलीदाता का नाम शामिल होगा। निर्धारित समय एवं तिथि के बाद प्राप्त कोटेशन अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

5. ट्रैक्टर के पास बोली लगाने वाले के नाम पर वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर बीमा प्रमाण पत्र और चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. सरकारी नियमों, आरटीपीपी अधिनियम और नियमों के अनुसार इन कृषि कार्यों पर लागू जीएसटी/अन्य शुल्क की जिम्मेदारी बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
7. ट्रैक्टर/मशीनरी की किसी भी प्रकार की क्षति और संचालन करने वाले व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों की दुर्घटना पर दावा नहीं किया जाएगा।
8. पते के प्रमाण के लिए कोटेशन के साथ पैन और आधार कार्ड/GST प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करें।



Head, LPM

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. प्रभारी CIMCA, SKNAU, Jobner को विश्वविद्यालय, की वेबसाइट पर कोटेशन अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर
4. डीडीओ, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर
5. कैशियर/लेखा/भंडार, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर
6. प्रभारी डेयरी फार्म, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर
7. नोटिस बोर्ड, डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोबनेर
8. नोटिस बोर्ड, तहसील/नगरपालिका/पुराना बाजार जोबनेर



Head, LPM

विभिन्न फार्म संचालन और अन्य संबंधित कार्यों की कोटेशन दर के लिए परफॉर्म

क्र.सं.	नाम कार्य/सेवाएँ	प्रति यूनिट दर (रु.)
1.	कल्टीवेटर से इकहरी जुताई (प्रति हेक्टेयर)	
2.	डिस्क हैरो से इकहरी जुताई (प्रति हेक्टेयर)	
3.	कल्टीवेटर से दोहरी जुताई (प्रति हेक्टेयर)	
4.	डिस्क हैरो से दोहरी जुताई (प्रति हेक्टेयर)	
5.	सीड-कम-फर्टीलाइजर ड्रिल से बुआई कार्य (प्रति हेक्टेयर)	
6.	पाटा/प्लैकिंग कार्य (प्रति हेक्टेयर)	
7.	ट्रैक्टर द्वारा समतलीकरण कार्य (प्रति घंटा)	
8.	कीटनाशक/शाकनाशी आदि का छिड़काव (प्रति हेक्टेयर)	
9.	टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति (प्रति टैंकर) न्यूनतम 5000 लीटर	
10.	टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति (प्रति टैंकर न्यूनतम 5000 लीटर) मय ठहराव प्रति 12 घंटा	
11.	फसलों की रीपर से कटाई (प्रति घंटा)	
12.	फसलों की थ्रेसिंग (प्रति घंटा)	
13.	कृषि उपज को खेत से स्टोर तक ले जाना (प्रति ट्रॉली)	
14.	कृषि उपज या गोबर की खाद और अन्य सामग्रियों को ले जाने के लिए परिवहन (प्रति ट्रॉली)	
a.	05.00 किलोमीटर तक की दूरी (निश्चित शुल्क)	
b.	05.00-20.0 किमी के बीच की दूरी (प्रति किलोमीटर)	
c.	20 किलोमीटर से अधिक की दूरी (प्रति किलोमीटर)	

मैंने इस कोटेशन के सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ा और समझा है और इनका पालन करूंगा।

तारीख:

फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर. फर्म के मालिक/प्रतिनिधि का